छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 521/2006</u>

1.	**श्रीमती लक्ष्मीबाई गोरे, ग्राम पंचायत, तेलीकोट, विकासखण्ड–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)**	–	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

1.	**जन सूचना अधिकारी/सरपंच ग्राम पंचायत, तेलीकोट, विकासखण्ड–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)**	–	**प्रति अपीलार्थी**

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 18 जुलाई, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्रीमती लक्ष्मीबाई गोरे ने प्रति अपीलार्थी संरपच, ग्राम पंचायत, तेलीकोट के यहॉ दिनांक 06.07.2006 को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर उन्हें समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 09.10.2006 को प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खरसिया के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण आयोग के समक्ष दिनांक 16.11.2006 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष एवं प्रतिअपीलार्थी सरपंच के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को का भी श्रवण किया गया । अपीलार्थी पहले तो उपस्थित हुये, किन्तु अंतिम सुनवाई में उपस्थित नहीं हुये, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई । प्रकरण में विलंब के लिए दिनांक 12.02.2007 को बीस हजार रूपये की शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिनांक 11.07.2007 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में यह कारण बताया गया है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव ने आवेदन अपने पास रखा और

वर्तमान सचिव को प्रभार नहीं दिया गया, जिसके कारण जानकारी नहीं दी जा सकी थी और बाद में कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त होने पर रिकार्ड ढुढवाया गया । दिनांक 20.04.2007 को आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार

अपीलार्थी को राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करा दी गई है । उन्होंने यह भी कहा है कि यह समस्त जानकारी अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति भुगतान के समय देने का प्रयास किया गया, जिसे अपीलार्थी ने लेने से इंकार किया । इस प्रकरण में रिकार्ड इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, किन्तु वस्तुत: यह रिकार्ड अपीलार्थी को ही प्रदान करना चाहिए । अत: यह रिकार्ड अब सरपंच की ओर लौटाया जाता है और उन्हें यह निर्देश दिये जाते हैं कि जो जानकारी उनसे संबंधित नहीं है, उसे संबंधित अधिकारी की ओर हस्तांतरित करे और पंचायत की समस्त जानकारी एक सप्ताह में अपीलार्थी को नि:शुल्क प्रदान करें । प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इस संबंध में प्रथम अपील की सुनवाई विधिवत नहीं की गई । अत: यह प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ के ध्यान में लाया जावे और उन्हें यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । अपीलार्थी को जो भी जानकारी उन्हें दी जा रही थी उन्हें लेने से इंकार नहीं करना चाहिए था । अत: उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि वह दी गई जानकारी स्वीकार करें । इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अधिनियम की धारा-20(2) के तहत् संबंधित सचिव को प्रभार नहीं दिये जाने और आवेदन अपने पास रखे जाने के कारण इस प्रकरण में विलंब हुआ है । अत: उनके विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । चूंकि सरपंच द्वारा जानबुझकर एवं किसी दुर्भावना से जानकारी प्रदान करने में विलंब नहीं किया गया है, जिसके कारण उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त